Trust

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (व) D 678832

न्यास पत्र

यह सार्वजनिक न्यास या प्रलेख आज दिनॉक 14-10-2011 को अम्बेडकरनगर में राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर वर्तमान पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसुलावाद हौजपटटी अकबरपुर अम्बेडकरनगर उ0 प्र0। जो भारत के रहने वाले है जिनको यहॉं बाद में "सेटलर" कहॉं जायेगा। (इस शब्दों में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादको तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान सन्दर्भ में उसके अर्थ के विरूद्व न हो।) तथा 2- श्री मती मंजू तिवारी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम निमदीपुरडल्लानिजामपुर पो0 पहितीपुर जनपद-अम्बेडकरनगर वर्तमान पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलावाद हौजपटटी अकबरपुरजनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0" जिनको यहॉं बाद में अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष कहॉं जायेगा" एक पक्ष तथा 3-शुभम तिवारी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पता तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसुलावाद हौजपटटी अकबरपुर अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 4- सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा पो0 कटेहरी-परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 5- नरेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिलखॉवा पो0 कटेहरी-परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 6- अजय कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिव शकर पाण्डेय ग्राम दुर्गादास पुर पकडी पो0 सूल्हेपुर परगना पश्चिम राठ तहसील बीकापुर जनपद-फैजाबाद उ0 प्र0 जिनको यहॉं न्यास का सरक्षक कहॉं जायेगा। 7- सुरेश चन्द ओझा पुत्र स्व0 यमुना प्रसाद ओझा ग्राम तमरेशपुर परगना चॉदा तहसील लमहुआ जिला -सुल्तानपुर उ0 प्र0 भारत। जो भारत के रहने वाले है जिनको यहॉं बाद में (न्यासीगण या इस सन्दर्भ में कुछ समय के लिए बनाये गये न्यासी तथा न्यासी गण के उत्तराधिकारी उत्तराअधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरूद्व न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने पर तैयार है।

1अ- सम्पत्ति-

सेटलर पन्द्रह हजार रूपया नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य में दान उपहार क्रय तथा पटटा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक वार निहित हो जायेगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी ट्रस्टी न तो बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता एंव न ही किराये पर दे सकता है परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नही होगा।

ब- सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक है।

स- न्यासी गण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गयें है।

द- इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 15000.00 नगद (पन्द्रह हजार) रूपया की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासी गण को स्थान्नातरित अदा एंव हस्तगत करा दिया गया है।

2 न्यास का नाम- "शारदा देवराज पं0 जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एंव धर्मार्थ ट्रस्ट" रहेगा। जो कभी भी बदला नही जायेगा।

क- ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एंव किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेटलर की शाखा से हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरूष संतान

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी मंजू तिवारी

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) D 678831

नही है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री। पुत्र या पुत्री तथा उनके संतानो की जीवित न होने के स्थिति में उपरोक्त वर्णित कम मे सेटलर की शाखा के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ संतान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नही होगा।

ख– बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो अथवा महिला व चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हों आवश्यकता पडने पर नामित किया जायेगा।

ग– मैनेजिग ट्रस्टी वह व्यकित होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल मे भविष्य के लिए नामित किया गया हों।

3– कमेटी / कमेटीज– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास को चलाने के लिए विभिन्न कमेटियो का गठन किया जायेगा। परन्तु उक्त कमेटी का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और उक्त न्यास का हेड ही पदेन सचिव रहेगा यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदेन सचिव को छोडकर कमेटी के सदस्यो का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा यह कार्य काल कभी भी घटाया जा सकता है और इस दिशा मे मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

4–पदेन सचिव– सार्वजनिक न्यास द्वारा विभिन्न कार्यो को चलाने के लिए जो कमेटीज बनायी जायेगी उसमें न्यास का हेड ही पदेन सचिव होगा जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डस भी होगा परन्तु न्यास के विरूद्व कोई निर्णय कमेटी द्वारा नही किया जायेगा।

5– न्यास के पदाधिकारीगण– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिगं ट्रस्टी अपने विवके से उपाध्यक्ष व सचिव नियुक्ति करेगा जिसका कार्य काल मैनेजिगं ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कही व कभी भी चुनौती नही दी जा सकती।

क–उपाध्यक्ष– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिगं ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया गया हो जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की न मौजूदगी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिग की अध्यक्षता करेगा परन्तु ऐसी विशेष परिसथितियों में नीतिगत निर्णय नही लिया जायेगा।

ख– सचिव– बोर्ड आफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवके से किसी ट्रस्टी की नियुक्ति बतौर सचिव की जायेगी जिसका कार्यकाल व अधिकार समय–समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवके से निर्धारित किया जायेगा।

ग–कोषाध्यक्ष– कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ट्रस्टी को ही किया जायेगा व उसके अधिकार व कार्यकाल का निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

घ–अन्य पदाधिकारी– इसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया जायेगा जो मुख्यतः बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होगे जिसका कार्य क्षेत्र व कार्यकाल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वेच्छा व विवके पर होगा।

6–न्यासीगण का हटाया जाना / अयोग्यता–

न्यासी गण को निम्नलिखित कृत्य के पश्चात अपने पद से मुक्त अथवा अयोग्य समझा जायेगा।

अ– न्यासी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में।

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी   मंजू तिवारी

गः ______   गः ______

15-10-11

दान पत्र

दान की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
15,000.00	150.00	110	260.00	5,500

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी तिलखावां निझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

अस्थायी पता तिलखावां निझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/10/2011 समय 3:44PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिबन्धक अकबरपुर
अम्बेडकरनगर
15/10/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

दानी

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी
पेशा कृषि
निवासी तिलखावां निझौड़ा अकबरपुर
अम्बेडकरनगर

श्रीमती मंजू तिवारी
पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
पेशा गृहिणी
निवासी निमदीपुर उत्तानिजामपुर पहितीपुर
अकबरपुर अम्बेडकरनगर

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AB 335683

3– यह कि न्यास "शारदा देवराज पं0 जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एंव धर्मार्थ ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलावाद हौजपटटी अकबरपुर–अम्बेढकरनगर उ0 प्र0 या समय–समय पर इस न्यास के सार्वजनिक /परोपकारी न्यासकर्ता गण द्वारा निर्णीत किये गये स्थान पर होगा उर्पर्युक्त न्यास "शारदा देवराज पं0 जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एव धर्मार्थ ट्रस्ट" उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात जाति वर्ग,लिंग आदि की भावना से परे शिक्षा चिकित्सा,सामाजिक उत्थान एंव अन्य उददेश्यों से जनसाधारण हेतु उपलब्ध होगा। इस न्यास में न्यासी गण लाभ कमाने के उददेश्य से किसी भी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगें इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विधिव्यवस्थाओं के मान्य सिद्धान्तों पर होगा।

4–न्यासीगण न्यासकोष की आय ,समस्त धनराशि,(जिसमें न्यास की सामाग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि,उपहार,दान,विज्ञापन द्वारा अर्जित किये धनराशि भी शामिल होगी तथा इस न्यास कोष का हिसा होगी) को धारित करेंगें न्यास कोष की आय एंव लाभ में से सर्व प्रथम न्यास के प्रबधन एंव निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।

5– ट्रस्ट का उददेश्य लाभ प्राप्त करना नही है। न्यास कोष का उपयोग निम्नलिखित उददेश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

अ–शैक्षिक सहायता–

बेरोजगार,निर्धन,एंव जरूरतमंद छात्र–छात्रओं को निम्नलिखित माध्यम से शैक्षिक प्रशिक्षण एंव सहायता देना:–

क– इंजीनियरिग एंव तकनीकी शिक्षा जिसमें पालीटेक्निक एंव इंजीनियरिंग कालेज फार्मेसी,खेल तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एंव प्रबन्ध करना।

ख– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

ग–विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्ध करना।

घ– एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा उनके संचालन के अभिमानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

ङ– कला एव विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एंव शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पशु चिकित्सालय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय ,तथा संगीत एंव नाटय, महाविद्यालय की स्थापना एव संचालित करना,सामाजिक कियाकलापों को बढावा देना।

च– वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविरों का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानों एव शिविरों को समर्थन देना।

छ. न्यास के उददेश्यों के अनुसार बिना लाभ अर्जित किये हुये छात्रावास प्रेक्षागृह जिमनेजियम आडीटोरियम तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

15-10-11

न्यारी

Registration No.: 26 Year: 2,011 Book No.: 4

0101 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

जमुना प्रसाद तिवारी

पिलखावां निझौड़ा अकबरपुर अम्बेडकरनगर

कृषि

0102 मंजू तिवारी

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

निमदीपुर डल्लानिजामपुर पहितीपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

गृहिणी

भारत
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
19AB 335682

ब– बगैर युक्तियुक्त कारण के ट्रस्ट की कार्यवाहियों में लगातार [illegible] अथवा
बगैर युक्तियुक्त कारणों के लगातार तीन [illegible] स्थिति [illegible]

स– बगैर युक्तियुक्त कारण के न्यास की धनराशि को समय पर न जमा करना अथवा अपने निजी कार्यो के उपयोग में प्रयोग करने की स्थिति में ।

द– किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल / दिवालिया घोषित होने की स्थिति में।

य– किसी न्यासी द्वारा न्यास के हित एंव मूलभूत सिद्वान्तों के विरूद्व कार्य करने की स्थिति में।

<u>अधिकार व कर्तब्य–</u>

<u>1.मैनेजिंग ट्रस्टी/सेटलर:–</u>

<u>अधिकार:–</u> न्यास (ट्रस्ट) का सम्पूर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित होगा अपने अधिकारों का प्रयोग करके समय–समय पर उपाध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति पर उनको अधिकार प्रदान करेगा इसे यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज के फैसले/निर्णय जो न्यास के हित में न हो को अपने विवके से अनिशचित काल तक स्थगित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है।

कतर्व्य:– मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कतर्व्य होगा कि वह इस बात को सुनिशचित करें कि न्यास (ट्रस्ट) का कार्य कलाप सुचारू रूप से चलता रहें वह अपने कार्यकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है इस नामांकन के अधिकार को कही भी चुनौती नही दी जा सकती हैं

2–उपाध्यक्ष:– बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति जो मैनेजिंग ट्रस्टी के विवके से व उसके द्वारा निशचित समय के लिए नियुक्ति होगा का अधिकार होगा कि अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी की गैर मौजूदगी बोर्ड की अध्यक्षता करेगा परन्तु नीतिगत निर्णय नही लेग

3.सचिव:– सचिव का कर्तव्य होगा कि ट्रस्ट के समस्त काम काज देखें व ट्रस्ट कें कागजातों का रख रखाव करें ट्रस्ट की बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर न्यासीगणों को सूचित करें।.

4.कोषाध्यक्ष– वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यकलाप कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा बैंक एकाउन्ट के संचालन में वह सहहस्ताक्षर कर्ता होगा।

5.अन्य पदाधिकारी– इनका कार्यकाल व कर्तब्य तथा अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। उनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी उनकी संख्या को बोर्ड अपनी स्वेच्छा से घटाबढा सकता है या पद समाप्त कर सकता है।

<u>अब यहाँ न्यास पत्र निम्नलिखित का साक्षी:–</u>

1. उपरोक्त न्यास के न्यासीगण न्यास के लिए उपरोक्त धनराशि न्यास पत्र में आगे लिखी गयी शक्तियों प्राबिधानों,सविंदा तथा घोषणा के अनुसार धारित करेंगें।

2. न्यासी गण एदतद्वारा घोषणा करतें है कि उपरोक्त धनराशि को धारित करेगें। (सरलता के उदेदश से उक्त धनराशि को न्यास कोष यहाँ वाद में कहा जायेगा) इस शब्द के अर्थ में हर प्रकार की सम्पत्ति तथा किसी प्रकार का निवेश जिसमें कि उपरोक्त सम्पत्ति या निवेश या उसका कोई भाग समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकता है जैसा कि इस न्यास तथा उससे सम्बन्धित शक्तियों प्राबिधानो ,सविंदाओं तथा घोषणाओं जिनका विवरण यहा वाद में दिया जा रहा है के अधीन न्यास द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

राजेन्द्रप्रसादतिवारी मंजूतिवारी

15/10/11

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री जितेन्द्र कुमार दूबे

पुत्र श्री सूर्य नारायण दूबे

पेशा कृषि

निवासी मन्देशर पेठिया आजमगढ़

व श्री अतुल कुमार

पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ

पेशा कृषि

निवासी बहोरिकपुर अकबरपुर अम्बेडकरनगर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

पहचान पत्र प्रस्तुत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिवन्धक अकवरपुर
अम्बेडकरनगर
15/10/2011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AB 335684

ज: शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना उसकी सहायता एंव उत्साहवर्धन करना।
झ: छात्र–छात्राओ हेतु अग्रेजी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना।
ट: जाति धर्म समुदाय वर्ग व लिंग का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमंद एंव योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।
ठ: योग्य एंव जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृति अनुदान सहायता तथा पुरस्कार देना न्यास द्वारा भू0 पू0 सैनिकों के आश्रितो उनकी विधवाओं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एंव राष्टीय अन्तर्राष्टीय व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत व्यक्तियों को अनुदान देना।
ड: शैक्षिक एंव सामाजिक उददेश्यों से स्थापित संस्थानो को नगद भुगतान देना एंव पुस्तकीय व शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप मे दान उपहार देना।
ढ: न्यास के उददेश्यो की प्राप्ति हेतू भूमि अधिग्रहित करना इमारत बनवाना तथा न्यास के उददेश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।
ण: अच्छे विचारो व साहित्यों को पैम्पलेट बुकलेट तथा पुस्तको आदि के प्रशासन द्वारा या संगोष्ठियों सभाओं कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करना।
प: विकलॉग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय तथा विकलॉग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एंव संचालन।
फ: निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्थापना एंव संचालन।
ब: कृषि स्नातक बेरोजगार के लिए एग्रीक्लीनिक एंव एग्रीबिजनेस प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एंव प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालित करना।

ब– चिकित्सीय सहायता:–

निर्धन एव जरूरतमन्द लोगों को चिकित्सीय सहायता देना विषेश रूप से–
अ: खैराती चिकित्सालयों नर्सिग होम तथा मैटरनिटीहोम ऑख अस्पातल आदि को प्रारम्भ करना।
स: निर्धन एंव जरूरतमंद लोगों को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना।
द: निर्धन एंव जरूरतमंद लोगों को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी विद्यालय में भर्ती होने पर सहायता देना।
य: किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एंव बेड आदि की सहायता देना ।
र: औषिधि के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों समितियों को सहायता देना या दान देना।
ल: ऐसे सभी कार्यो को करना जिसमे निर्धनों की चिकित्सा होती हो।

राजेन्द्रप्रसादतिवारी मञ्जूतिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AB 335685

व: भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एव रिसर्च सेन्टर डिस्पेंसरी नर्सिंगहोम मेटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु संग्रह करना।

स: निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर एडस जागरूकता शिविर विकलॉग शिविर मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

स– सामान्य उददेश्य:–

1. मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को विकास एंव उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एंव व्यवसाय हेतू सहायता करना।

2. बाढ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा तथा अन्य विपत्तियों में परेशान लोगों को राहत पहुचॉना।

3. निर्धन विधवाओं के लिये संस्थानों या कोष की स्थापना।

4. बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्वजनों के लिये आवासों की स्थापना एंव रखरखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिये शुल्क में छूट कुछ शर्तो पर देकर (एक निश्चित अवधि के लिये देकर) करना जिसमें शर्तो व अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगें करेगें।

5. जल की कमी वाले क्षेत्रों में जहॉ कही भी हो वहॉ पर कुऑ खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

6. भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों संगठनों से नगद धन तथा नगद दान उपहार तथा चल सम्पत्तियों या ऐसी सम्पत्तियों का अधिकार उन शर्तो पर प्राप्त करना जो कि न्यासीगण न्यास के उददेश्य हेतु उंचित समझते हों।

7. न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उददेश्य हेतु विल्डिग वनवाना।

8. न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को युक्तियुक्त कारणों से वेचना सुधारना प्रवन्ध करना विकसित करना अदला–बदली करना लीज पर देना मारगेज करना तथा न्यास के किसी खाता को निस्तारित कर देना ।

9. यहॉ वाद में दिये गये उददेश्यों गतिविधियों तथा कार्यो संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लेगों के सगठन को सहायता देना।

10.अन्य विधिक कार्यो गतिविधियों तथा लेखपत्रों जिसे न्यासीगण उचित समझते हो से सामान्य रूप से निष्पादित करना।

11उपरोक्त उददेश्यो की प्राप्ति हेतु सामान्य उददेश्यों वाले किसी अन्य न्यास या संस्थान को न्यास में शामिल करना या उनका सहयोग करना या उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रवन्ध न्यासी की सहमति से कार्य करना जैसा कि कानून द्वारा अनुमन्य हो।

12 ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठानें भौतिक समृद्वि प्रदान करने सामाजिक न्याय एंव समानता दिलाने तथा उनके वौद्विक शारीरिक एंव सामाजिक पक्षों को विकसित करने के उददेश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यकमों एंव गतिविधियों को संचालित करना।

राजेन्द्रप्रसादतिवारी मंजू तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AB 335687

4 न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उददेश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो तो न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना जैसा कि समय–समय पर तय किया जा सकता है।

5– न्यास के लक्ष्य एव उददेश्यो की प्राप्ति हेतू न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें :–

क विद्यालयो कालेजो तथा ऐसे संस्थानो जो विकलाग बच्चों को सहायता देते हों उनके विधार्थियों को ऋण देना निःशुल्क पुस्तकें देना पुरस्कार देना आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपर्युक्त प्रकार की सहायता देना।

ख न्यास कोषो या उसके किसी भाग को न्यास वनाने में या उससे सम्वन्धित प्रवन्धन व प्रशासन मे होने वाले खर्चे को देना जिसमें सभी प्रकार के किराये कर तथा कर्मचारियों का वेतन इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन एंव सहायता देती हों।

ग. शिक्षको पेशेवर लोगो तथा अन्य की सेवाओ को नगद पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक या सभार प्राप्त करना।

घ. उपर्युक्त उददेश्य हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना निष्पादित करना तथा वादा करना जैसा कि आवश्यक हो।

ङ. न्यास के उददेश्य की तरक्की हेतु वाछित समझी जाने वाली पुस्तकें पैम्पलेट व पोस्टरो को छपवाना प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना।

च. ऐसे सभी विधिक कार्यो को करना लेखपत्र लिखना जो कि उपर्युक्त उददेश्यों की प्राप्ति में प्रेरक एव प्रासंगिक हों।

8 एसे किसी न्यास समिति संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपर्युक्त न्यास के लक्ष्य के सामान हो।

9 कोई भी चीज जो उपर कही गयी है या यहा वाद में कही गयी है। इसके वावजूद न्यास कोष की आय इस प्रकार की सार्वजनिक कल्याणकारी उददेश्यों हेतु खर्च किया जायेगा जो कि आयकर अधिनियम1961या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियम शर्तो एंव सीमाओं के अधीन होगा।

10 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र जमुना प्रसाद तिवारी अर्थात सेटलर जो मैनेजिंग ट्रस्टी है। को ही न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने –देख रेख करने –संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे ही समय –समय पर न्यास कोष से सम्बद्ध करेंगे एव किसी भाग या उसकी आय को फिक्सड डिपाजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेंगे जिसका संचालन श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी कर सकते है। फिर भी यदि किन्ही परिस्थितियों में उपर्युक्त न्यासी उपलब्ध नहीं है। तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में श्रीमती मंजू तिवारी जो ट्रस्ट की अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष है द्वारा संचालित किया जा सकता है। तथा राजेन्द्र प्रसाद तिवारी एंव श्रीमती मंजू तिवारी दोनों की अनुपस्थिति में शारदा देवराज पं० जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एंव धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रशासन प्रवन्धन एंव कोष संचालन की जिम्मेदारी इनके

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

मंजू तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AB 335689

16–राजेन्द्र प्रसाद तिवारी,श्री मती मजू तिवारी ,शुभम तिवारी,सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी,नरेन्द्र प्रसाद तिवारी,अजय कुमार पाण्डेय,सुरेश चन्द ओझा अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होगे उपरोक्त स्थायी न्यासी मे से किसी की मृत्यु हो जाने कि स्थिति में श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी,श्री मती मंजू तिवारी के सयुक्त परामर्श से ही स्थाई न्यासी बनाये जा सकेगे इन दोनो के न रहने पर सेटेलर द्वारा नामित वंशजो के परामर्श से स्थायी न्यासी बनाये जा सकेगें। तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजेन्द्र प्रसाद तिवारी व श्री मती मंजू तिवारी के विधिक उत्तराधिकारी कमशः सेटेलर एंव स्थायी न्यासी होगे।

17–श्री मती मजू तिवारी ,शुभम तिवारी,सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी,नरेन्द्र प्रसाद तिवारी,अजय कुमार पाण्डेय व सुरेश चन्द ओझा हमेशा न्यासीगण कि परिषद के कमशः अध्यक्ष/सभापति होगे तथा न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेगें। यदि न्यास की किसी मीटिग मे उपरोक्त स्थायी न्यासीगण किसी कारण से उपस्थिति नही है तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्ति करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण को होगा। इस न्यास का सचिव तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक /एम.डी. सेटलर स्वंय होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास /संस्था के मूलभूत सिद्वान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से नयासी मण्डल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा।

18– न्यासीगण की प्रत्येक मीटिग की कार्यवाही का साराश उस उददेय हेतु रखी गई पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एव हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वहों पर किये गये या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी ।

19–न्यासी गण की न्यूनतम सख्या सेटलर सहित सात होगी स्थायी न्यासी गण के कुछ समय के लिय न्यास हेतु अतरिक्त न्यासी गण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि हेतु जैसा कि वे आवश्यक मानते हो करने का अधिकार होगा,किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या बारह से अधिक नही होगी। किसी न्यासीगण मृत्यु हो जाने पर या किसी कारणो वश किसी न्यासी के न्यास से त्याग पत्र देने की स्थिति में स्थायी न्यासीगण (सेटलर) को इस प्रकार से मृत्यु या त्याग पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासी गण कि नियुक्ति का अधिकार होगा।

20– भारतीय न्यास अधिनेयम से सुसगत प्रावधानो के आधीन न्यासीगण अपने निर्वाध्य विवेकानुसार इस प्रकार के नियमो एंव शर्तो जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हो इस लेख पत्र के न्यास के सम्पत्ति य इसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्थान से जोड सकता है।

21–किसी कार्य को करने या किये जाने का अनुमति देने या न्यास के प्रशासन में या अधिकारों (शक्ति) के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध में न्यासीगण में भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम एंव निर्णायक होगा। मत बराबर की स्थिति में सेटलर का निर्णय अन्तिम होगा।

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी   मंजू तिवारी

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AB 335690

22. समय–समय परिस्थिति के लक्ष्यो उददेश्यों प्रशासन, प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलो के सम्बन्ध में न्यासी गण को – आडिटर आर्किटेक्ट सर्वेयर एकाउन्टेन्ट बैल्यूयर सालीसिटर , एडवोकेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हे इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय–समय पर अपने निर्वाध्य विवके से उपयुक्त समझे भुगतान करन का अधिकार होगा।

23. प्रबन्ध न्यासीगण मे किसी एक से न्यायालय,टिब्यूनल,प्राधिकारी,या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही मे न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते है।

24. इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसगों का न्यास क्षेत्र अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 होगा।

25. न्यासी गण न्यास के एकान्उट का आडिट करायेगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानो या उसमें हुए सशोधनों का पालन करगें।

26.न्यास के समक्ष सदस्यो से न्यास के विषय में सहमति ~~ले~~ ली गयी है। इस न्यास बिलेक में कुल रूपये 1100/00का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। ~~अचल सम्पत्ति मौजा डल्लानिजामपुर तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर की है। जो कि आवास विकास क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है~~

सेटलर–

श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी

निवासी ग्राम पिलखोंवा पो0 कटेहरी अकबरपुर अम्बेडकरनगर उ0 प्र0।

वर्तमान पता–तमसामार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपटटी अकबरपुर–अम्बेडकरनगर उ0 प्र0।

शारदा देवराज पं0 जमुना प्रसाद तिवारी शैक्षिक एंव धर्मार्थ ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1	राजेन्द्रप्रसाद तिवारी	श्री जमुना प्रसाद तिवारी	ग्रा0 पिलखोंवा पो0 कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर वर्तमान पता– तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुर अम्बेडकरनगर	कृषि
2	श्री मती मजू तिवारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	ग्रा0 डल्ला निजामपुर पो0 पहितीपुर अम्बेडकरनगर वर्तमान पता– तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुर अम्बेडकरनगर	गृहणी
3	शुभम तिवारी	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	ग्रा0 पिलखोंवा पो0 कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर वर्तमान पता– तमसा मार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद हौजपट्टी अकबरपुर अम्बेडकरनगर	अध्ययन
4	सत्येन्द्रप्रसाद तिवारी	श्री जमुना प्रसाद तिवारी	ग्रा0 पिलखोंवा पो0 कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर	कृषि

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी — मन्जू तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AB 335691

5	नरेन्द्र प्रसाद तिवारी	श्री जमुना प्रसाद तिवारी	ग्रा0 पिलखॉवा पो0 कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर	कृषि
6	अजय कुमार पाण्डेय	श्री शिवशंकर पाण्डेय	ग्रा0 दुर्गादास पुर पकड़ी पो0 सुल्तेपुर त0 बीकापुर फैजाबाद	समाज सेवा
7	सुरेश चन्द ओझा	स्व0 श्री जमुना प्रसाद ओझा	ग्रा0 तमरसेपुर प0 चौंदा त0 लम्भुआ सुल्तानपुर	नौकरी

दिनॉक 14–10–2011

गवाह:– 1– श्री बजरंगी प्रसाद पाठक पुत्र श्री शिव प्रसाद पाठक
निवासी ग्राम धौरहरा पो0 रामपुर सकरवारी जनपद–अम्बेडकरनगर।

न्यास पत्र तैयार कर्ता

2– श्री रमेशराम त्रिपाठी ए0 डी0 जी0 सी0 जनपद –न्यायालय अम्बेडकरनगर व श्री राजेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट जनपद दीवानी न्यायालय अम्बेडकरनगर श्री सरोज कुमार द्विवेद्वी प्रवक्ता रसायन विज्ञान रामबली नेशनल इ0 का0 गोशाईगंज फैजाबाद तथा पं0 जमुना प्रसाद तिवारी प्रबन्धक डी0 आर0 एल0 इ0 का0 गॉधीनगर पिलखॉवा अकबरपुर अम्बेडकरनगर उ0 प्र0 भारत।

टाइप कर्ता – बृजेश कुमार त्रिपाठी विशाल कम्प्यूटर तमसा मार्ग अकबरपुर –अम्बेडकरनगर।

बृजेश कुमार त्रिपाठी

हस्ताक्षर
राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
सेटलर
ग्राम पिलखॉवा पो0 कटेहरी जनपद–अम्बेडकरनगर।
वर्तमान पता–तमसामार्ग निकट रपटा पुल रसूलाबाद
हौजपटटी अकबरपुर –अम्बेडकरनगर

राजेन्द्रप्रसाद तिवारी मंजू तिवारी

आज दिनांक **15/10/2011** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **20**

पृष्ठ सं. **385** से **410** पर कमांक **26**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हरिश्चन्द्र कुशवाहा)
उपनिवन्धक अकवरपुर
अम्बेडकरनगर
15/10/2011

New
Institution